



छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम रायपुर (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग का उपक्रम)



वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2013-14

पुराना डी.आर.डी.ए. भवन कलेक्टोरेट परिसर,
रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम रायपुर (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग का उपक्रम)



वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2013-14

पुराना डी.आर.डी.ए. भवन कलेक्टोरेट परिसर,
रायपुर (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

क्र	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	निगमन का प्रमाण पत्र	01
2.	कारोबार प्रारम्भ करने के लिए प्रमाण पत्र	02
3.	निगम की योजनाएं	3—5
4.	निगम की पद संरचना	06
5.	वार्षिक प्रतिवेदन	7—10
6.	महालेखाकार की टिप्पणी	11—12



प्राप्त आई. आर.
FORM LR

निगमन का प्रमाण पत्र

Certificate of Incorporation

No. U 85320 CT 2004 NPL 16765

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त

आवाम विकास निगम

कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित की गई है और कम्पनी परिसीमित है।

I hereby certify that CHHATTISGARH NISHAKAT JAN VITT AVAM
VIKAS NIGAM

is this day incorporated under the Companies Act, 1956
(No. 1 of 1956) and that the Company is limited by shares.

मेरे हस्ताक्षर से आज तारीख अठ्ठाईस अगस्त शक उन्नीस सौ छब्बीस
को दिया गया।

Given under my hand at GWALIOR this NINETEENTH
day of JULY Two Thousand FOUR



Raj Singh
(DR. RAJ SINGH)
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
Registrar of Companies

Madhya Pradesh & Chhattisgarh
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़



सत्यमेव जयते

कारबार प्रारम्भ करने के लिए प्रमाण-पत्र

Certificate for Commencement of Business

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 149 (3) के अनुसरण में

Pursuant of Section 149 (3) of the Companies Act. 1956

ता... का सं...
No. 10-16765 of 2004

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कृत्तीसगढ़ निःशक्त-जन वित्त स्वम्

विकास निगम

जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन तारीख 19.7.2004 को निगमित की गई थी और जिसने आज विहित प्रारूप में सम्यक् रूप से सत्यापित घोषणा फाइल कर दी है कि उक्त अधिनियम की धारा 149 (1) (क) से लेकर (घ) तक/149 (2) (क) से लेकर (ग) तक की शर्तों का अनुपालन किया गया है, कारबार प्रारम्भ करने की हकदार है।

I hereby certify that the CHHATTISGARH NISHAKAT-JAN VITT AVAM
VIKAS NIGAM.

which was incorporated under the Companies Act, 1956 on the 19th day of JULY, 2004. and which has this day filed a duly verified declaration in this prescribed form that the conditions of section 149 (1) (a) to (d)/149 (2) (a) to (c) of the said Act, have been complied with is entitled to commence business.

मेरे हस्ताक्षर से यह तारीख 21-6-2005 को ग्वालियर में दिया गया।
GWALIOR

Give under my hand at this TWENTY FIRST day of JUNE and TWO THOUSAND FIVE.



(DR. RAU SINGH)
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
Registrar of Companies

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम

छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा रुपये 5 करोड़ की अंशपूजी से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत लाभ न कमाने वाली कम्पनी के रूप में दिनांक 20 मई 2004 को स्थापित की गई है। यह पूर्णतः छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व में है। कम्पनी के प्रबंधन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। इसे समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम को नेशनल हेन्डीकेप्ड फायनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन की चैनेलाईजिंग एजेन्सी दिनांक 06.09.2004 को घोषित किया गया हैं राज्य में दिव्यांगजनों को नेशनल हेन्डीकेप्ड फायनेंस एण्ड कार्पोरेशन के शर्तों के अधीन ऋण स्वीकृत किया जा रहा है।

- दिव्यांगजनों के लाभ हेतु आर्थिक विकास के क्रियाकलापों एवं स्वरोजगार उद्यमों को बढ़ावा देना।
- दिव्यांगजनों को स्वरोजगार उद्यमों के उचित एवं दक्ष प्रबंधन के लिए उनके उद्यमी कौशल को उन्नत करने के लिए ऋण देना।
- दिव्यांगजनों को व्यावसायिक पुनर्वास/स्वरोजगार के योग्य बनाने वाली व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण देना।
- स्वरोजगार में लगे दिव्यांगजनों को उनके द्वारा तैयार माल के विपणन के लिए सहयोग प्रदान करना।

निगम की योजनाएं :-

निगम द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को आय प्रदान करने वाली व्यापक गतिविधियों में सहायता दी जाती है, जो इस प्रकार है :-

- **सेवा/व्यापार क्षेत्र में लघु व्यवसाय लगाने के लिए :-**
बिक्री व्यापार क्रियाकलापों के लिए 5 लाख रुपए तक एवं सेवा क्षेत्र के क्रियाकलापों के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है।
- **कृषि क्रियाकलापों के लिए :-**
10 लाख रुपए तक ऋण दिव्यांग व्यक्तियों को कृषि उत्पादन, सिंचाई, बागवानी, रेशम उत्पादन, कृषि कार्य सेवा, कृषि उत्पादन के विपणन आदि के लिए कृषि मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए ऋण सहायता दी जाती है।
- **वाहन क्रय करने के लिए :-**
10 लाख रुपए तक ऋण वाणिज्यिक किराये पर देने के उद्देश्य से ऑटो रिक्शा सहित किसी भी वाहन खरीद पर।
- **मानसिक मंदता, मस्तिष्क पक्षाघात तथा विचार भ्रम से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए – 10 लाख रुपए तक ऋण।**
मानसिक मंद, मस्तिष्क पक्षाघात तथा विचारभ्रम से ग्रस्त व्यक्तियों की तरफ से उनके माता-पिता, पति/पत्नी अथवा उनके कानूनी अभिभावक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

- **निपुणता एवं उद्यमी विकास कार्यक्रम के लिए :—**
व्यक्तियों को कुशल बनाने और उद्यमी विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चैनेलाईजिंग एजेंसियों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।
- **लघु आद्यौगिक इकाई स्थापित करने के लिए :—**
25 लाख रुपये तक ऋण दिव्यांगजनों को निर्माण, बढ़ई एवं उत्पादन के लिए सहायता दी जाती है।
- **सूक्ष्म वित्तीय योजना :—**
5 लाख रुपये तक का ऋण अशासकीय संस्था को 25,000 /— रुपये तक प्रति निःशक्त व्यक्ति हेतु दिया जाता है।
- **शिक्षा/प्रशिक्षण हेतु ऋण :—**
इस निगम द्वारा 10 लाख रुपये तक भारत में शिक्षा हेतु एवं 20 लाख रुपये तक विदेश में शिक्षा हेतु ऋण दिया जाता है! ऋण का भुगतान प्रशिक्षण समाप्त होने के 6 माह अथवा नौकरी मिलने पर जो भी पहले होगा।
- **मानसिक मंद दिव्यांगजनों के माता—पिता द्वारा संचालित एसोसिएशन हेतु :—**
उक्त योजना अन्तर्गत 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

पात्रता :—

1. 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्त हो।
2. आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।

वार्षिक आय :—

1. शहरी क्षेत्र में 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम हो।
2. ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम हो।
3. संबंधित शैक्षिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता और अनुभव।

ब्याज दर :—

1. 50 हजार रुपये तक — 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
2. 50 हजार रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक — 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष
3. 5 लाख रुपये से अधिक (शिक्षा/प्रशिक्षण हेतु ऋण) — 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष
4. सभी ऋण 10 वर्ष के भीतर जमा किए जाएंगे।
5. दिव्यांग महिलाओं के लिए 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज पर छूट।
6. दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित/मानसिक मंद दिव्यांग हितग्राहियों को 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट।

--000--

छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2013 - 14 में दिव्यांगजनों को स्वीकृत ऋण प्रकरणों की जिलावार स्वीकृत प्रकरणों की संख्या एवं स्वीकृत राशि


क्र.	जिला	वर्ष 2013-14	
		प्रकरण	राशि (लाख में)
1	रायपुर	43	107.67
2	महासमुंद	16	32.83
3	धमतरी	47	61.19
4	दुर्ग	83	109.37
5	राजनांदगांव	33	82.50
6	कबीरधाम	12	21.54
7	दंतेवाड़ा	2	3.20
8	कांकेर	8	7.20
9	बिलासपुर	45	144.14
10	जांजगीर	48	98.93
11	कोरबा	12	11.84
12	रायगढ़	28	69.93
13	जशपुर	29	67.27
14	सरगुजा	12	32.40
15	कोरिया	36	114.54
16	बलौदाबाजार	10	18.81
17	मुंगेली	6	16.35
18	बालोद	2	7.20
19	गरियाबंद	3	4.01
20	बेमेतरा	8	20.79
	योग	483	1031.71

वसूली की स्थिति
2004-05 से 2013-14 तक

2004-05 से 2013-14 तक	कुल हितग्राही	वितरित ऋण राशि (लाख में)	कुल वसूल की गई राशि (लाख में)	वसूली हेतु शेष राशि (लाख में)
	1435	2380.67	904.71	1615.15

छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम

निगम की पद संरचना



**CHHATTISGARH NISHAKT-JAN
VITT AVAM VIKAS NIGAM**

ANNUAL REPORT

2013 - 14

Chhattisgarh Nishakat Jan Vitt Avam Vikas Nigam

(A company licensed under section 25 of the Companies Act, 1956)

Balance Sheet as at 31st March, 2014

PARTICULARS	Notes	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
I. EQUITY AND LIABILITIES			
[1] Shareholder's Funds :-			
(a) Share Capital	4	50,000,000.00	50,000,000.00
(b) Reserves & Surplus	5	88,597,267.95	79,008,716.95
[2] Non-current Liabilities			
(a) Long Term Borrowings	6	218,763,130.00	129,291,237.00
(b) Other Long Term Liabilities		-	-
[3] Current Liabilities			
(a) Other Current Liabilities	7	7,507,382.00	5,250,735.00
(b) Short Term Provisions	8	138,731.00	149,439.00
TOTAL RS.		365,006,510.95	263,700,127.95
II. ASSETS			
[1] Non-current assets :-			
(a) Fixed Assets :-			
(i) Tangible Assets	9	839,724.00	1,086,155.00
(ii) Intangible Assets		-	-
[b] Non-current investments		-	-
[c] Long-term loans and advances	10	159,075,130.00	115,279,837.00
[d] Other non-current assets	11	125,239,269.00	115,216,213.00
[2] Current Assets			
(a) Current investments		-	-
(b) Cash & bank balances	12	76,680,831.95	28,976,356.95
(c) Short-term loans and advances	13	943,943.00	913,953.00
(d) Other current assets	14	2,227,613.00	2,227,613.00
TOTAL RS.		365,006,510.95	263,700,127.95

Summary of significant accounting policies

3


The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Place : RAIPUR

Dated : 27/06/2014

For and on behalf of board of Directors


Managing Director


Director


As per our report of even date

For, Sanjib Jain & Associates

Chartered Accountants

Firm Regn. No. 004993C




Preetam Jain]
Partner
M.NO. 408432

Chhattisgarh Nishakat Jan Vitt Avam Vikas Nigam

(A company licensed under section 25 of the Companies Act, 1956)

Income & Expenditure Statement for the year ended 31st March,2014

PARTICULARS	Notes	For the year ended 31st March, 2014	For the year ended 31st March, 2013
Income			
Revenue from Operations	15	11,549,089.00	36,58,887.00
Other Income	16	10,623,835.00	1,15,23,141.95
Total Revenue		22,172,924.00	1,51,82,028.95
Expenses			
Employee benefits expenses	17	1,262,330.00	8,29,305.00
Financial Cost	18	6,871,249.00	57,76,908.00
Depreciation and amortisation expense	9	246,431.00	3,23,497.00
Other expenses	19	4,204,363.00	8,34,121.00
Total Expenses		12,584,373.00	77,63,831.00
Surplus(Deficit) before exceptional and Extra-ordinary items and Tax		9,588,551.00	74,18,197.95
Exceptional items		-	-
Surplus(Deficit) before exceptional and Extra-ordinary items and Tax		9,588,551.00	74,18,197.95
Tax Expenses			
(i) Current Tax		-	-
(ii) Deferred Tax		-	-
Surplus /(Deficit) after tax for the period		9,588,551.00	74,18,197.95
Earnings Per equity share (EPS):			
Basic	20	19.18	14.84

Summary of significant accounting policies 3

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Place : RAIPUR

Dated : 27/06/2014

For and on behalf of board of Directors


As per our report of even date

For, Sanjib Jain & Associates


Chartered Accountants

Firm Regn. No. 004993C


Managing Director


Director




[Preetam Jain]
Partner
M.NO. 408432

Chhattisgarh Nishaktjan Vitt Avam Vikas Nigam, Raipur

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

	Year Ended 31/03/2014	Year Ended 31/03/2013
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit before Tax and Extra-ordinary Items	9,588,551.00	7,418,197.95
Adjusted for :		
Depreciation and Amortisation	246,431.00	323,497.00
Interest Expense	6,869,280.00	5,774,261.00
Operating Profit before working capital changes	1,67,04,262.00	13,515,955.95
Adjustments for :		
(Increase) / Decrease in Other Receivables	-	-
(Increase) / Decrease in Loans & Advances	(44,769,226.00)	(25032546.00)
(Increase) / Decrease in Other current Assets	-	9,312,548.00
(Increase) / Decrease in Other non-current Assets	(10,023,056.00)	(19,214,087.00)
(Decrease)/ Increase in Provisions	(10,708.00)	3000.00
(Decrease) / Increase in other current liabilities	2,256,647.00	(16,056,319.00)
(Decrease)/ Increase in other long-term liabilities	-	-
Cash generated from Operations	(35,842,081.00)	(37,471,448.05)
Direct Taxes paid	943,943.00	913,953.00
Prior Period Adjustment	-	(3.00)
Net cash from/(used in) Operating Activities	[A] (34,898,138.00)	(36,557,498.05)
B. Cash Flow from Investing Activities		
Purchase of tangible Fixed Assets	-	-
Purchase of intangible Fixed Assets	-	-
Net cash used for Investing Activities	[B] -	-
C. Cash Flow from Financing Activities		
Proceeds from Issuance of Equity Share Capital	-	-
Proceeds/(Repayment) of Long Term Borrowings	89,471,893.00	26,252,973.00
Proceeds/(Repayment) from other borrowings	-	-
Interest paid	(6,869,280.00)	(5,774,261.00)
Net cash used in Financing Activities	[C] 8,26,02,613.00	2,04,78,712.00
Net increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents [A+B+C]	47,704,475.00	(16,078,786.05)
Cash & Cash Equivalent at the beginning of the year	28,976,356.95	45,055,143.00
Cash & Cash Equivalent at the end of the year	76,680,831.95	28,976,356.95

Notes : 1) Cash Flow Statement has been prepared as per AS-3 under Indirect Method.

2) Figures in the brackets represents outflows.

3) Cash and Cash equivalents includes cash & balances with banks and deposits with banks.

4) Previous period figures have been rearranged/regrouped wherever necessary.

Place : RAIPUR

Dated : 27/06/2014

FOR AND ON BEHALF OF BOARD

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE


For, Sanjib Jain & Associates

Chartered Accountants

Firm Regn. No.-004993C

Managing Director

Director



[Preetam Jain]

Partner

M.No.- 408432



No. CAW/S-2/A'ss-13/CNJVAVN/2013-14/F-685/D- 19C

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

Office of Accountant General (Audit), Chhattisgarh, Raipur

दिनांक

Date : 20-06-19

प्रति,

प्रबंध निदेशक,

छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम

पुराना डीआरडीओ बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट परिसर

रायपुर (छ.ग.) 492001

विषय:—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदया/महोदय,

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्रेषित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को समाविष्ट कर प्रकाशित वार्षिक लेखों की छः प्रतियाँ वार्षिक सामान्य सभा (AGM) के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त AGM कार्यवाही विवरण की एक प्रति सहित इस कार्यालय को अग्रेषित करें।

संलग्नक— यथोपरी

भवदीया,

उप महालेखाकार

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र)

पोस्ट - मांडर, जीरो प्वाइंट, रायपुर - 493 111 (छत्तीसगढ़)

Post - Mandhar, Zero Point, Raipur - 493 111 (Chhattisgarh)

A. Comments on Profitability

Income & Expenditure Statement

Expenses (Note 17 & 19): ₹ 54.66 lakh

1. The above includes ₹ 2.52 lakh being expenditure incurred towards employees benefit expenses and other expenses for the year 2012-13 but paid in 2013-14. These expenses should have been recognised as prior period expenses. This incorrect accounting treatment has resulted in overstatement of current year's expenses and understatement of Surplus as well as prior period expenses by ₹ 2.52 lakh.

B. Comments on Financial Position

Balance Sheet

Equity and Liabilities

Current Liabilities

Other current liabilities (Note - 7) - ₹ 75.07 lakh

2. As per the lending policy of National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC), the Company is required to share five *per cent* of the project cost to be disbursed to beneficiaries for loans above ₹ 50,000. However, the Company neither disbursed nor made provision for ₹ 56.92 lakh being the amount of Company's share payable to beneficiaries. This has resulted in understatement of Other Current Liabilities and overstatement of Surplus by ₹ 56.92 lakh.

Other Non-Current Assets (Note 11): ₹ 12.52 crore

3. The above represents the amount kept in Fixed Deposits (having maturity date after one year) with accrued interest thereon. As per Revised Schedule VI, of the Companies Act, 1956 this should have been shown as 'Bank deposits with more than 12 months maturity' under the head of Cash and Cash Equivalents in Current Assets. This has resulted in overstatement of Non-current assets by ₹ 12.52 crore and understatement of Cash and Cash Equivalents to the extent.

Non-Current Liabilities

Long-Term Borrowings (Note 6): ₹ 21.88 crore

4. The revised Schedule VI to the Companies Act 1956, requires that the Long-Term Borrowings shall be further classified as secured loans and unsecured loans. However, in accounts total amount of ₹ 21.88 crore payable to the National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) has been shown as unsecured loans although Government of Chhattisgarh (GoCG) had provided a guarantee of ₹ 8.31 crore. Accordingly, the Long-Term Borrowings of ₹ 8.31 crore should have been classified as secured loans and ₹ 13.57 crore should have been classified as unsecured loans. Therefore, the disclosure in notes was deficient to that extent.

